रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 581] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 1994/अग्रहायण 2, 1916
No. 581] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 1994/AGRAHAYANA 2, 1916

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1994

का०आ० 836(अ).—बोडो सुरक्षा बल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् बी०सु०ब० कहा गया है) प्रव्यंजित उद्देश्य बोडोलैण्ड "स्वतन्त्र कराना" है जिसका परिणाम पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र पृथकतावादी संगठनों से मिलकर उक्त क्षेत्रों को भारत संघ से विलग करना और उस क्षेत्र के समरुचि संगठनों से मिलकर भारत-बर्मा क्षेत्र की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करना है:

(i) और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि बी०सु०ब० विभिन्न अवैध क्रियाकलापों में लिप्त है जिनका आशय एक पृथक बोडोलैण्ड प्राप्त करने के अपने उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए भारत की प्रभुता और राज्य क्षेत्रीय अखण्डता को विछिन्न करना है या जिनसे भारत की प्रभुता और राज्य क्षेत्रीय अखण्डता विछिन्न होती है;

(ii) पृथक बोडोलैण्ड बनाने के लिए यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रण्ट आफ असम (उल्फा) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैण्ड (एन०एस०सी०एन०) जैसे अन्य विविविरुद्ध संगमों में सम्मिलित हो गया है;

(iii) अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुसरण में उस अवधि के दौरान जब उसे विविविरुद्ध संगम घोषित किया गया था, कई विविविरुद्ध और हिंसात्मक क्रियाकलापों में संलग्न था जिसके परिणामस्वरूप विधिपूर्वक स्थापित सरकार का प्राधिकार जर्जरित हुआ और लोगों के बीच आतंक और दहशत फैला;

और केन्द्रीय सरकार की और यह राय है कि हिंसात्मक क्रियाकलापों के अन्तर्गत निम्नलिखित है—

(i) सुरक्षा बलों का उत्साह भंग करने और सरकार के प्राधिकार को जर्जरित करने की दृष्टि से सुरक्षा बलों की टुकड़ियों और गश्तीदलों पर हमले, सुरक्षा बल कार्मिकों का वध तथा उन्हें क्षति पहुंचाना और उनसे आयुधों और गोला-बारूद की लूट;

(ii) गैर-बोडो लोगों के बीच दहशत और असुरक्षा फैलाने तथा उन्हें बोडो क्षेत्रों से विभिन्न स्थानों में बसने के लिए मजबूर करने की दृष्टि से हत्याकांड और जातीय हिंसा,

जिसके परिणामस्वरूप वध, सम्पत्ति का नाश और कोकराझार बोंगईगांव तथा बारपेटा जिलों में हजारों गैर-बोडो लोगों का अपने परिवारों और गृहों से पलायन। गैर-बोडो लोगों का वध करने और उन्हें गम्भीर रूप से क्षति पहुंचाने के लिए ऐसे अवसरों पर बी०सु०ब० द्वारा ए०के०-47 राइफलों और कार्बाइनों जैसे परिष्कृत शस्त्रों का प्रयोग किया गया था;

(iii) पृथक बोडोलैण्ड बनाने के लिए वित्तपोषण और योजनाओं को निष्पादित करने के लिए मुक्ति धन की बड़ी राशि ऐंठने की दृष्टि से प्रमुख व्यवसायियों, चाय सम्पदा स्वामियों और प्रबंधों को व्यपहरण;

(iv) व्यवसायियो, सरकारी पदाधिकारियों और सिविलियनों से मांग सूचना जारी करके और धन का संदाय नहीं किए जाने और/या कोई जानकारी सुरक्षा बलों को दी जाने की दशा में भयानक परिणाम की धमकी देकर धन ऐंठना;

(v) निधि जमा करने के लिए राजमार्ग लूट, बैंक डकैतियां, आदि करना;

(vi) विधिविरुद्ध, आतंकवादी क्रियाकलापों में पारस्परिक सहायता के लिए और बी०सु०ब० के काडरों के प्रशिक्षण के लिए "उल्फा" और एन०एस०सी०एन० जैसे विधिविरुद्ध संगमों के साथ गहरा संबंध बनाए रखना;

(vii) देश के भीतर अपने पृथकवादी क्रियाकलाप करने के लिए शिविर और छुपने के स्थान स्थापित करना;

(viii) पृथक बोडोलैण्ड बनाने के लिए अपने संघर्ष में आयुद्ध और अन्य सहायता आदि प्राप्त करने के लिए अन्य देशों में भारत विरोधी दलों से सहायता प्राप्त करना;

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर, बी०सु०ब० के क्रियाकलाप भारत की प्रभुता और अखण्डता के लिए हानिकर हैं और यह एक विधिविरुद्ध संगम है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बी०सु०ब० को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि जब तक बी०सु०ब० के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को नियंत्रण में नहीं रखा जाता है, संगठन फिर एकत्र हो सकता है और स्वयं को आयुद्ध से सज्जित कर सकता है, नई भर्तियां कर सकता है, हिंसात्मक, आतंकवादी और पृथकवादी क्रियाकलापों में लिप्त हो सकता है, निधि, आदि एकत्र कर सकता है और निर्दोष नागरिकों तथा सुरक्षा बल कार्मिकों के जीवन को संकटापन्न कर सकता है;

अतः ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनसे यह आवश्यक हो गया है कि बी०सु०ब० को तात्कालिक प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि परिस्थितियों को, अर्थात्, बी०सु०ब० द्वारा हाल ही में पुलिस, अन्य सशस्त्र बलों और सिविलियनों के विरुद्ध की गई निरंतर और सदा बढ़ती हुई हिंसा से निपटने को, और ऊपर (iii) में उपदर्शित अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि बी०सु०ब० को तात्कालिक प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाए और तदनुसार, केन्द्रीय सरकार, उस धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि अधिसूचना का, किसी ऐसे आदेश के, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाए, अधीन रहते हुए, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभाव होगा।

[फा०सं०-11011/34/94-एन०ई० IV]
बी०एन० झा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 1994

S.O. 836(E).—Whereas the Bodo Security Force (hereinafter referred to as Bd. S. F.) has as its professed aim, the "Liberation" of Bodoland resulting in bringing about the secession of the said areas from the Indian Union, in alliance with other armed secessionist organisations of the North East Region and to carry on struggle for the national liberation of the Indo-Burma region in alliance with like-minded organisations of that region :

(I) And whereas the Central Government is of the opinion that Bd.S.F. has indulged in various illegal activities intended to disrupt or which disrupt the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of achieving a separate Bodoland;

(II) aligned with other unlawful associations like United Liberation Front of Asom (ULFA) and National Socialist Council of Nagaland (NSCN) to create a separate Bodoland;

(III) in pursuance of its aims and objectives engaged in several unlawful and violent activities during the period when it had

been declared as an unlawful association, thereby undermining the authority of the lawfully established government and spreading terror and panic among the people.

And whereas the Central Government is further of the opinion that the violent activities include:—

(i) attacks on pickets and patrol parties of security forces, killing of security force personnel and causing injuries to them and looting of arms and ammunition from them with a view to demoralise the security forces, and undermine the authority of the government;

(ii) carnages and ethnic violence resulting in killings, destruction of property and exodus of thousands of non-Bodos from their hearths and homes in Kokrajhar, Bongaigaon and Barpeta districts with a view to spread panic and in security among non-Bodos and force them to migrate from Bodo areas. Sophisticated weapons like AK-47 rifles and carbines were used by Bd.S.F. cadres on such occasions to kill and seriously injure non-Bodos;

(iii) Kidnapping prominent businessmen, tea estate owners and managers with a view to extract huge sums of ransom money to finance and execute plans for creation of a separate Bodoland;

(iv) extortion of money from businessmen, government officials and other civilians by issuing demand notices and threats of dire consequences if money is not paid and/or if any information is passed on to security forces;

(v) committing highway robberies, bank dacoitres etc. to amass funds;

(vi) maintaining close nexus with unlawful associations like ULFA and NSCN for mutual assistance in unlawful, terrorist activities and for training of Bd.S.F. cadres;

(vii) establishing camps and hideouts across the Country's border to carry out its secessionist activities;

(viii) obtaining assistance from anti-India forces in other countries to procure arms and other assistance in their struggle for creation of a separate Bodoland etc.;

And whereas the Central Government is also of the opinion that on the material placed before it, the activities of Bd.S.F. are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Bd.S.F. to be an unlawful association;

And whereas the Central Government is also of the opinion that, unless unlawful activities of Bd.S.F. are kept under control, the organisation may regroup and re-arm itself, make fresh recruitments, indulge in violent terrorist and secessionist activities, collect funds etc. and endanger lives of innocent citizens and security forces personnel; the circumstances therefore do exist which render it necessary to declare Bd.S.F. as an unlawful association with immediate effect;

And whereas the Central Government is also of opinion that having regard to the circumstances, namely, to meet the sustained and ever increasing violence committed by Bd.S.F. in the recent past against the police, the other armed forces and the civilians, and other circumstances indicated in (III) above, it is necessary to declare Bd.S.F. to be an unlawful association with immediate effect and accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, the Central Government directs that the notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 11011/34/94-NE.IV]

B. N. JHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994